राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/ 2285 जयपुर, दिनांक 13.06.2023

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : General Elections and Bye elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies- Poll Day Monitoring- reg.

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 464/INST/PDM/2023-EPS दिनांक 08 जून, 2023 एवं 10 जून, 2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 08 जून, 2023 द्वारा मतदान दिवस की निगरानी हेतु समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अधिक्रमण में संकलित दिशा–निर्देश जारी किये गये है, जिसकी सूचना आपको विभागीय पत्र क्रमांक 2190 दिनांक 10.06.2023 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 08 जून, 2023 के निर्देशों में बिन्दु संख्या 6 पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली 16–बिन्दु रिपोर्ट (Annexure-II) को विलोपित करते हुए संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक 10 जून, 2023 (प्रति संलग्न) जारी किये है, जिसमें मतदान दिवस को विभिन्न स्तर पर की जाने वाली निगरानी हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर परः–

(I) मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित तीन विषयों को सम्मिलित करते हुए एक राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष (SCR) बनाया जायेगाः–

(ए) संचार नियंत्रण कक्ष– यह नियंत्रण कक्ष मतदान दिवस की निगरानी हेतु संचार की पर्याप्त आधारभूत संरचना को सम्मिलित करते हुए और प्रत्येक जिले या जिलों के समूहों के लिये पर्याप्त टीमों की संख्या सहित स्थापित किया जायेगा। इस कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों से योग्य कर्मचारियों को काम में लिया जा सकता है।

(बी) मीडिया निगरानी नियंत्रण कक्ष– मतदान दिवस की घटनाओं की राष्ट्रीय/राज्य मीडिया द्वारा की जाने वाली कवरेज की निगरानी जिसमें स्थानीय मीडिया पर विशेष जोर दिया जायेगा इस हेतु अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा।

(सी) वेबकास्टिंग नियंत्रण कक्ष– मतदान अवधि के दौरान वेबकास्टिंग आंकडों पर नजदीक से वॉच रखने के लिए अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा।

(II) तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही संचार नियंत्रण कक्ष या अन्य प्रभावी चैनल के माध्यम से की जाएगी। राज्य नियंत्रण कक्ष की निगरानी व्यक्तिगत रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी।

(III) मतदान दिवस की गतिविधियों की निगरानी हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपेक्षित आईटी उपकरण Create कर सकते है। हालांकि, ऐसे आईटी उपकरण का निरीक्षण एवं मंजूरी आयोग के प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा दी जाएगी।

(IV) जब भी ECI मीडिया और संचार प्रभाग मतदान दिवस की घटनाओं पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन केन्द्र (EMMC) से प्राप्त मीडिया इनपुट को समय–समय के अन्तराल पर प्रदान करता है, जैसाकि निर्देश दिया गया है, की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत की जाएगी।

misc143

Scanned with OKEN Scanner

(V) ऊपर वर्णित सुविधाओं/नियंत्रण कक्ष के दलों हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उचित प्रशिक्षण एवं ब्रीफिंग सुनिश्चित की जाएगी।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर:–

(I) जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित तीन विषयों को सम्मिलित करते हुए एक जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष (DCR) बनाया जायेगा:–

(ए) संचार नियंत्रण कक्ष– यह नियंत्रण कक्ष मतदान दिवस की निगरानी हेतु संचार की पर्याप्त आधारभूत संरचना को सम्मिलित करते हुए और प्रत्येक जिले या जिलों के समूहों के लिये पर्याप्त टीमों की संख्या सहित स्थापित किया जायेगा। इस कार्य हेतु विभिन्न कार्यालयों से योग्य कर्मचारियों को काम में लिया जा सकता है।

(बी) मीडिया निगरानी नियंत्रण कक्ष– मतदान दिवस की घटनाओं की राष्ट्रीय/राज्य मीडिया द्वारा की जाने वाली कवरेज की निगरानी जिसमें स्थानीय मीडिया पर विशेष जोर दिया जायेगा इस हेतु अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा।

(सी) वेबकास्टिंग नियंत्रण कक्ष– मतदान अवधि के दौरान वेबकास्टिंग आंकडों पर नजदीक से वॉच रखने के लिए अलग से नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा।

(II) तत्काल प्रतिक्रिया दल (QRTs) का गठन स्थिति और तथ्यों का तुरन्त/शीघ्रता से पता लगाने के लिए किया जाएगा।

(III) जिले का एक वरिष्ठतम अधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष और QRTs के कार्य पद्धति पर निगरानी रखेगें।

(IV) ऊपर वर्णित सुविधाओं/नियंत्रण कक्ष के दलों हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उचित प्रशिक्षण एवं ब्रीफिंग सुनिश्चित की जाएगी।

3. रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर:–

(I) रिटर्निंग ऑफिसर (लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मामले में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर) Constituency/Segment नियंत्रण कक्ष की स्थापना संचार, तार्किक प्रबंधन और आपातकाल प्रतिक्रिया हेतु करेंगे।

(II) मतदान कार्मिको/सुरक्षा बलों के आवाजाही पर बारीकी से नजर रखी जाएगी और मतदान कार्मिको/सुरक्षा बलों के मतदान केन्द्र पर सुरक्षित आगमन पर सेक्टर अधिकारियों के माध्यम से पुष्टि रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए।

(III) वोटर टर्नआउट एप्लीकेशन, जो अनुमानित वोटर टर्नआउट सूचना को कैप्चर करता है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है। उपयुक्त संचार चैनलों जैसे सेक्टर अधिकारियों या किसी तकनीकी उपकरण के माध्यम से मतदान केंद्रों से डेटा एकत्र और मिलान करते समय उचित सावधानी बरती जाएगी।

(IV) विस्तृत रिपोर्टिंग मैट्रिक्स नीचे निर्दिष्ट है(हमेशा अद्यतन रिपोर्टिंग मैट्रिक्स भेंजे)

Cumulative approx. Voter turn out	Data entry time by RO
Poll start to 9 AM	9:00 AM to 9:30 AM
Poll start to 11 AM	11:00 AM to 11:30 AM
Poll start to 1 PM	1:00 PM to 1:30 PM
Poll start to 3 PM	3:00 PM to 3:30 PM
Poll start to 5 PM	5:00 PM to 5:30 PM
Poll start to Close of poll	7:00 PM to 12:00 Night
End of Poll	P + 1 day

4. सेक्टर ऑफिसर/मजिस्ट्रेट स्तरः–

(I) सेक्टर ऑफिसर कम से कम जितना संभावित हो उतने कम अन्तराल पर निर्दिष्ट सभी मतदान केन्द्रों का लगातार दौरा करेंगे।

(II) सेक्टर ऑफिसर बिना किसी देरी के रिटर्निंग ऑफिसर या Constituency/Segment नियंत्रण कक्ष को निम्नलिखित गतिविधियों पर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करेंगेः–

(ए) मॉक पोल पूरा होने के पश्चात् मॉक पोल डाटा को हटाते हुए वीवीपेट में से मॉक पोल पर्चियों को बाहर निकालने के उपरान्त मॉक पोल प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(बी) मतदान आरंभ की रिपोर्ट।

(सी) मॉक पोल और मतदान के दौरान ईवीएम/वीवीपेट्स बदलने की रिपोर्ट।

(डी) दिये गये अन्तरालों पर उपयुक्त चैनल के माध्यम से अनुमानित वोटर टर्नआउट डाटा की रिपोर्ट।

(ई) मतदान समाप्ति पर Close बटन दबाना, सील करना, मतदान दलों का निर्दिष्ट वाहनों से निर्धारित मार्गो से केवल Reception Center तक पहुँचने के लिए प्रस्थान करने संबंधी रिपोर्ट।

(एफ) किसी भी अवांछित घटना की सूचना देना और तत्काल प्रतिक्रिया करना/सुधारात्मक उपाय करना।

(जी) DEO/RO/ARO द्वारा सौंपी गई कोई अन्य रिपोर्टिंग।

(III) मतदान के दिन सेक्टर ऑफिसर/मजिस्ट्रेट विजिट शीट (Annexure-I) में इन्द्राज करेंगे, जिसे पीठासीन अधिकारी के पास में रखा जाना होगा।

(IV) बार–बार उस मतदान केन्द्र का दौरा करें और उस पर ध्यान दे जहाँ किसी एजेन्ट की अनुपस्थिति में मॉक पोल कराया गया है।

(V) सेक्टर ऑफिसर पूर्व निर्धारित तरीके से बूथ से बूथ तक जाएंगे और प्रत्येक बूथ पर निरीक्षण के बाद अगले मतदान केन्द्र पर जाने से पहले वहाँ मौजूद नियंत्रण कक्ष को स्थिति के बारे में फोन पर सूचित करेंगे।

5. मतदान केन्द्र स्तरः–

(I) पीठासीन अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर DEO/RO/ARO नियंत्रण कक्ष या सेक्टर ऑफिसर से सम्पर्क करने के लिए अपने मोबाईल फोन साईलेंट मोड में ले जाने की अनुमति है। माइक्रो पर्यवेक्षक, जहाँ भी किसी मतदान केन्द्र पर तैनात है, जरूरत पड़ने पर सामान्य पर्यवेक्षक से सम्पर्क करने के लिए साईलेंट मोड में अपना मोबाईल फोन ले जा सकते है।

(II) यदि मतदान केन्द्र में वीडियो कैमरा/डिजिटल कैमरा/सीसीटीवी लगाया गया है, तो मतदान शुरू होने से पहले नकली मतदान और मतदान शुरू होने जैसी घटनाओं को रिकोर्ड करने के अलावा मतदान केन्द्र पर खड़े सुरक्षा कर्मियों का एक फोटोग्राफ लेकर सीएपीएफ/ पुलिस कर्मियों की उपस्थिति भी दर्ज करनी चाहिए।

(III) चुनाव के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए मतदान के दिन की निगरानी के लिए वेबकास्टिंग का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। जिसके द्वारा ECI/CEO/DEO /RO/ARO और विभिन्न नियंत्रण कक्षों में देखने वाली टीमों द्वारा वास्तविक समय में मतदान की कार्यवाही को देखने के लिए, प्रभावी ढंग से मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए, जितनी जल्दी हो सके प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

(IV) मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग के दौरान कैमरे का इस तरह से रखा जाना चाहिए कि यह निम्नलिखित की स्पष्ट दृश्यता को कैप्चर करें:–

Scanned with OKEN Scanner

(ए) पंक्ति में मतदाता

(बी) मतदान अधिकारी द्वारा मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया

(सी) अंगुली पर अमिट स्याही लगाना

(डी) मतदाता की संतोषजनक पहचान के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा कन्ट्रोल यूनिट की शुरूआत

(ई) मतदाता वोट डालने के लिए बैलेट यूनिट में जाते है जहाँ कैमरे से बैलेट यूनिट का Face कवर नहीं होना चाहिए, ताकि संरक्षित परिस्थितियों में वोट की गोपनीयता बनी रहें।

(V) जहाँ कहीं भी मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग उपलब्ध है, वहाँ **"आप वैब–कैमरा/सीसीटीवी की निगरानी में है"** का स्पष्ट प्रदर्शन (Display) होना चाहिए।

6. सी–विजिलः–

जब भी सी–विजिल ऐप में किसी से आदर्श आचार संहिता/व्यय के कथित उल्लंघन के लिए कोई शिकायत (या तो फोटो या वीडियों में) प्राप्त होती है, तो अधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाएगी और 100 मिनट के भीतर ऐप पर रिपोर्ट की जाएगी।

अतः इस संबंध में लेख है कि आयोग के प्रासंगिक संकलित दिशा–निर्देश समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को एवं चुनाव संबंधी प्राधिकारियों को प्रेषित कर आगामी समस्त चुनावों में अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(2)प्रथम/निर्वा/2021/ 2285 जयपुर, दिनांक 13.06.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (आई.टी.), राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. विशेषाधिकारी, प्रशिक्षण शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, भण्डार शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर को

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

misc146

Scanned with OKEN Scanner

By Speed Post/Email

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

EPABX 011-23717391-98
Fax 011-23713412/23739944
Website: www.eci.gov.in

निर्वाचनसदन,
अशोकरोड, नई दिल्ली–110001-
Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001.

No 464/INST/PDM/2023-EPS

Dated: 10th June, 2023

To,

The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories.

Subject: **General Elections and Bye elections to Lok Sabha and State Legislative Assemblies – Poll Day Monitoring - reg.**

Reference: -

Sl. No.	Letter No.	Dated
1.	PS/AK/2005	10.09.2005
2.	464/INST/2009-EPS	08.04.2009
3.	464/INST/2014-EPS	06.05.2014

Madam/Sir

In reference to the abovementioned instructions issued on the Poll Day Monitoring, I am directed to state that the Commission has been issuing instructions from time to time to ensure that electoral processes on day of poll are effectively monitored and there is no scope for vitiation of poll process. Now, the Commission has reviewed these instructions and issued the following consolidated instructions in supersession of all the existing instructions on the subject for various levels: -

1. CEO LEVEL:

(i) The CEO shall create a **State Control Room** (SCR) consisting of mainly following three components:

(a) Communication Control Room: This Control Room shall

Scanned with OKEN Scanner

be set up with adequate communication infrastructure and have adequate number of teams for each district or group of districts, for the purpose of poll day monitoring and communication by drawing effective manpower from different Offices.

(b) Media Monitoring Control Room: A separate control room should be set up to monitor the coverage on National /State media with special emphasis on local media for poll day events.

(c) Webcasting Control Room: A separate control room should also be set up to keep a close watch on webcasting data for the entire polling period.

(ii) Immediate corrective action shall be initiated through Communication Control Room or through any other effective channels. State Control Room shall be supervised by an officer not below the rank of Joint CEO personally.

(iii) CEO may create requisite IT tools for Poll Day Monitoring activities. However, such IT tools shall be vetted and approved by the Technology Division of the Commission.

(iv) Whenever ECI Media and Communication division provides media inputs on poll day events received from Electronic Media Management Center (EMMC) at periodic intervals, as directed, action taken reports shall be promptly furnished.

(v) CEO shall ensure proper training and briefing of the teams for the above-mentioned facilities/ control rooms.

2. DEO LEVEL:

(i) The DEO shall create a **District Control Room** (DCR) consisting of mainly following three components:

(a) Communication Control Room: This Control Room shall be set up with adequate communication infrastructure and have adequate number of teams for each district or

Scanned with OKEN Scanner

group of districts, for the purpose of poll day monitoring and communication by drawing effective manpower from different Offices.

(b) <u>Media Monitoring Control Room</u>: A separate control room should be set up to monitor the coverage on National /State media with special emphasis on local media for poll day events.

(c) <u>Webcasting Control Room</u>: A separate control room should also be set up to keep a close watch on webcasting data for the entire polling period.

(ii) Quick Response Teams (QRTs) shall be formed to address the situation promptly and also to ascertain the facts quickly.

(iii) A senior officer of the district shall supervise functioning of the District Control Room and QRTs.

(iv) DEO shall ensure proper training and briefing of the teams for the above-mentioned facilities/ control rooms.

3. RETURNING OFFICER LEVEL

(i) Returning Officer (also ARO in case of Parliamentary Constituency) shall establish **Constituency/Segment Control Room (CCR)** for communication, logistics management and emergency response etc.

(ii) The movement of the polling personnel/security forces shall be tracked closely and a confirmatory report should be obtained through Sector Officers on the safe arrival of the polling personnel/security forces at the polling station.

(iii) Voter Turnout Application which captures approximate periodical voter turnout information is to be gathered and reported by Returning Officers for Assembly Constituency and Parliamentary Constituency segment at regular intervals, as specified. Due care shall be taken while collecting and collating

Scanned with OKEN Scanner

data from the Polling Stations through appropriate communication channels like Sector Officers or any technological tools.

(iv) Detailed reporting matrix is specified below (*always refer to updated reporting matrix*):

Cumulative approx. Voter turn out	Data entry time by RO
Poll start to 9 AM	9:00 AM to 9:30 AM
Poll start to 11 AM	11:00 AM to 11:30 AM
Poll start to 1 PM	1:00 PM to 1:30 PM
Poll start to 3 PM	3:00 PM to 3:30 PM
Poll start to 5 PM	5:00 PM to 5:30 PM
Poll start to Close of poll	7:00 PM to 12:00 Night
End of Poll	P + 1 day

4. <u>Sector Officer/Magistrate Level:</u>

(i) Sector Officer shall continuously visit all the Polling Stations assigned at the shortest possible periodic intervals.

(ii) Sector Officer shall mandatorily report, without any delay, on the following activities to Returning Officer or to the Constituency/ Segment Control Room:

(a) Completion of Mock Poll-issuance of Mock Poll Certificates, deletion of Mock Poll data (including removal of mock poll slips from VVPAT)

(b) Commencement of poll

(c) Replacement of EVM/ VVPATs during Mock poll and Poll

(d) Approximate voter turnout data at given intervals through appropriate channel

(e) End of poll -pressing of CLOSE button, sealing, departure of polling parties in the designated vehicles on designated routes only to reach the Reception Center etc.

(f) Reporting of any unwarranted event and immediate response/ corrective measures taken

Scanned with OKEN Scanner

(g) Any other reporting assigned by DEO/RO/ARO

(iii) Sector Officers/ Magistrates, shall make an entry in the 'Visit Sheet' (**Annexure-I**) to be kept with the Presiding Officer on the day of poll.

(iv) Frequently visit and pay attention to the Polling Station(s) where the mock poll had to be conducted in the absence of any agents.

(v) The Sector Officers shall move in a pre-determined manner from booth to booth and after inspection at every booth, shall communicate over phone to the designated control room the situation prevailing there before moving to the next Polling Station.

5. <u>Polling Station Level:</u>

(i) Presiding Officers are permitted to carry their mobile phones in silent mode to contact DEO/RO/ARO Control Room or Sector Officer in case of need. Micro Observers, wherever deployed in a Polling Station, can also carry their mobile phone keeping them in silent mode to contact General Observer in case of need.

(ii) If a video camera/digital camera/CCTV is deployed in the polling station, before the commencement of the poll apart from recording events like mock poll and commencement of poll, the presence of CAPF/Police personnel should also be recorded by clicking a photograph of the security personnel standing in front of the board of the Polling Station.

(iii) In order to bring transparency and efficiency in the conduct of elections, webcasting shall be effectively used for poll day monitoring. To view the poll proceedings in real time by the ECI, CEO, DEO, RO and the viewing teams at various Control Rooms to effectively monitor the polling process to ensure response in the quickest possible time.

(iv) During webcasting in polling stations, the camera should be placed in such a manner that it captures clear visibility of the following:-

a) Voters in queue

Scanned with OKEN Scanner

b) Process of Identification of voters by Polling Officer

c) Application of indelible ink on finger

d) Initialization of Control Unit by Presiding Officer after satisfactory identification of voter.

e) Voters visit to Ballot Unit for casting vote wherein camera should not cover face of Ballot Unit so that secrecy of vote is preserved under all conditions.

(v) There should also be a bold display that "YOU ARE UNDER WEB-CAMERA/CCTV SURVIELLANCE" at the polling station wherever webcasting is provided.

6. C-Vigil

Whenever any complaint (either in photo or video) is received for alleged violation of Model Code of Conduct/ Expenditure from anyone in C-Vigil App, effective action shall be taken by authorities and reported on the App within 100 minutes.

The abovesaid instructions shall be brought to the notice of all concerned for strict compliance during General Elections to Lok Sabha, State Legislative Assembly Elections and all Bye Elections.

Yours faithfully,

AJAY KUMAR VERMA
SECRETARY

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-I

VISIT SHEET

Day of Poll:

Name and Number of Assembly: ____________

Name and Number of Polling Station: ____________

Number of Electors: ____________________________

Sl. No.	Name & Designation of the officer visiting Observer/DEO/RO/ ERO/Sector Magistrate/Zonal Magistrate/Patrolling Magistrate	Time of Visit	Brief description of polling process (Peaceful/ Incidents, if any)	Number of votes polled till the time of visit	% polled till the time of visit	Remarks, if any	Signature of Officer

Signatures of Presiding Officers

(with date)

Scanned with OKEN Scanner